न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर
TA 35/15 उनवान विमल किशोर v/s गंगालाल वगैरह

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम, जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27/8/18	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। वकील अपीलार्थी द्वारा कथन किया कि प्रस्तुत प्रकरण मे वकील प्रार्थी शैशोचित टाइटल पेश नही कर रहे है जिसके लिए काफी समय दिया जा चुका है इसके अतिरिक्त यह प्रार्थना जिस पीठासीन अधिकारी के विरुद्ध पेश किया गया है, उनका स्थानान्तरण अन्यत्र स्थान पर हो जाने के कारण प्रस्तुत प्रकरण प्रभावहीन हो जाने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। वकील अपीलार्थी के कथन से हम सहमत है। अतः प्रस्तुत मुन्त- प्रा० पत्र प्रभावहीन हो जाने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल सम्मिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी।	

रजिस्टर्ड
प्रति निर्णय मय पत्रावली संख्या TA 35/15
मौखिक निर्णय 27/8/18 को अपीलार्थी/प्रार्थी/वकील कलेक्टर
को भेजी।
क्रमांक 3844 दिनांक 14/9/18